उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग-2
संख्या- 23/2022/609 /53-2-2022-2(44)/15
लखनऊः दिनांकः 27जुलाई, 2022

संशोधन/शुद्धिपत्र

वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-20/2022/ 548/ 001/53-2002-50-2019, दिनांक 13जुलाई,2022 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 77.35लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, जिसके संलग्नक के क्रमांक-53 के स्तंभ-3 पर उप दुग्ध विकासशाला अधिकारी, आजमगढ़ अंकित है तथा उपर्युक्त शासनादेश के संबोधन में आहरण वितरण अधिकारी मऊ अंकित नहीं है।

2- अतः उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 13जुलाई,2022 को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

''शासनादेश संख्या- 20/2022/548/001-53-2002-50-2019, दिनांक 13जुलाई, 2022 के संबोधन में उल्लिखित आहरण वितरण अधिकारी के जनपदों के नामो के साथ जनपद मऊ को भी सम्मिलित किया जाता है तथा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 13.7.2022 के संलग्नक के क्रमांक-53 के स्तंभ-3 पर अंकित जनपद बलिया के आहरण वितरण अधिकारी, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी आजमगढ़ के स्थान पर उप दुग्धशाला विकास अधिकारी मऊ पढ़ा जाय।''

4- शासनादेशसंख्या-20/ 2022/ 548/ 001/ 53 -2002-50 - 2019, दिनांक 13जुलाई, 2022 की अन्य शर्ते यथावत् रहेगी।

(राम सहाय यादव)
विशेष सचिव।

संख्या- 23 /2022/609(1)/2(44)/15, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्य-निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
8- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
9- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
10- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11- आहरण एवं वितरण अधिकारी, मऊ/आजमगढ़।
11- सम्बन्धित [illegible]काई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
12- सम्बन्धित क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ0प्र0।
13- वित्त(व्यय नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उ0प्र0शासन।
14- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।
15- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी।
16- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसा[illegible] पर प्रदर्शित करने हेतु।
17- गार्ड फा[illegible]।

आज्ञा से,
ह0/-
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in